रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 187] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 29, 2009/आश्विन 7, 1931
No. 187] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 29, 2009/ASVINA 7, 1931

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(कार्यालय अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, हरियाणा एवं राजस्थान)

अधिसूचना

फरीदाबाद, 16 सितम्बर, 2009

संदर्भ सं. ए.सी.सी./हरि.एवं राज./ई.डी.एल.आई./170/छूट प्राप्त/1143.—जहां अनुसूची-I में उल्लिखित नियोक्ताओं में (इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है), कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा (2क) के अंतर्गत छूट एवं छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी दिए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम का सामूहिक जीवन बीमा का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार/केन्द्रीय सरकार/केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा तिथि को प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गई है के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II में निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे की तीन वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी है। जैसाकि संलग्न अनुसूची-I में उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची-I

क्रम सं.	पूर्व अधिसूचना सं. एवं तिथि	स्थापना का नाम कोड नं.	छूट प्राप्ति की अवधि
1	2	3	4
1.	एसीसी/डब्ल्यू जेड/21/डीएलआई/छूट प्राप्त/2007/भाग-II/623, दिनांक 31-5-2007	मैसर्स संतोकबा दुर्लभजी मेमोरियल हॉस्पीटल-कम-मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जयपुर आर जे/1806	1-3-2008 से 28-2-2011
2.	सं. 2/1959/डीएलआई/छूट प्राप्त/89/पार्ट-1/5241, दिनांक 16-2-2001	मैसर्स होटल मान सिंह टावर, जयपुर आर जे/2583ए	24-6-2000 से 23-6-2003 24-6-2003 से 24-6-2006 24-6-2006 से 24-6-2009
3.	क्रमांक 2/1959/डीएलआई/छूट /89/पार्ट-1/ दिनांक 6-1-1994	मैसर्स होटल मान सिंह, जयपुर राजस्थान आर जे/2583	26-12-1993 से 25-12-1996 26-12-1996 से 25-12-1999 26-12-1999 से 25-12-2002 26-12-2002 से 25-12-2005 26-12-2005 से 25-12-2008 26-12-2008 से 25-12-2011

1	2	3	4
4.	प्रारंभिक छूट	मैसर्स श्री सीमेंट, ब्यावर राजस्थान, आर जे/4712	1-1-2008 से 31-12-2010

अनुसूची-II

उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय-समय पर निर्दिष्ट करेंगे।

1. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभार का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 17 की उप-धारा 2(क) खंड के अधीन समय-समय पर निदेश करेंगे।

2. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय लेखाओं का अंतरण, निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।

3. नियोजक सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाएगा तब संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

4. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरंत दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम संबंधित जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

5. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा जिसमें कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

6. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि से कम है, तो जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय हो तो जब वह स्कीम के अधीन होता तो नियोजक कर्मचारी को विधि वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के बराबर राशि का संदाय करेगा।

7. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और अगर किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

8. स्थापना द्वारा पहले ही अपनाई गई भारतीय जीवन बीमा निगम/अनुमोदित निजी बीमा कंपनी की सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत प्रदत्त लाभों में किसी भी कारण से किसी प्रकार की कमी किए जाने पर अगर कर्मचारी व्याप्त नहीं रहते हैं तो स्थापना की प्रदत्त छूट रद्द की जा सकती है।

9. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो संबंधित जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यगत होने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

10. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अंतर्गत मिलने वाले बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

11. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उस हकदार का नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि संदाय तत्परता से तथा प्रत्येक दशा में संबंधित जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करेगा।

12. सामूहिक बीमा स्कीम के अंतर्गत आवृत सदस्य की मृत्यु की दशा में, यह बीमा कंपनी सब दृष्टि से पूर्ण दावे की प्राप्ति से, हर हाल में, एक माह के भीतर मृतक सदस्य के पात्र नामित (नामितों)/कानूनी वारिस (वारिसों) को बीमाकृत राशि का त्वरित भुगतान सुनिश्चित करेगी।

एस. आर. जोशी, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

[विज्ञापन III/4/2007/09-असा.]

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

(OFFICE OF THE ADDITIONAL CENTRAL P. F. COMMISSIONER)

NOTIFICATION

Faridabad, the 16th September, 2009

Ref. No. ACC/HR. & RAJ./EDLI/170/Exempt./1143.—Whereas the employer of the establishments mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under Sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyments of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favorable to such employees than the benefits admissible under the Employees Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme).

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section 2(A) of Section 17 of the said Act, in continuation of Government of India, the Ministry of Labour/ CPFC Notification No. and dates shown against the name of the each establishment and subject to the conditions specified in Schedule-II annexed hereto, the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said Scheme and for further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names :—

SCHEDULE-I

S. No.	Previous Notification No. and Date	Names of Establishments with Code No.	Period of Exemption
1.	ACC/WZ/21/DLI/Exemp./2007/Pt.-II/623 dated 31-5-2007	M/s. Santokbha Durlabhji Memorial Hospital-Cum-Medical Research Institute, Jaipur RJ/1806.	01-03-08 to 28-02-11
2.	No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.-I/5241 dated 16-2-2001	M/s. Hotel Man Singh Tower, Jaipur, RZ-2583A.	24-06-00 to 23-06-03 24-06-03 to 23-06-06 24-06-06 to 23-06-09
3.	No. 2/1959/DLI/Exemp./89/Pt.-I/ dated 6-1-1994.	M/s. Hotel Man Singh, Jaipur, RJ-2583.	26-12-93 to 25-12-96 26-12-96 to 25-12-99 26-12-99 to 25-12-02 26-12-02 to 25-12-05 26-12-05 to 25-12-08 26-12-08 to 25-12-11
4.	Initial Exemption	M/s. Shree Cements, Beawar (Rajasthan), RJ/4712	01-01-08 to 31-12-10

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.
2. The Employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause (a) Sub-section (2A) of Section 17 of the said Act within 15 days from the close of every month.
3. All Expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of Insurance premium, transfer of accounts and, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the notice board of the establishment, copy of the Rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/ Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of salient features thereof in the language of the majority of the employees.
5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund of an establishment exempted under the said Act is employed in his establishment, the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Insurance Company.
6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favorable to the employees than the benefits admissible under the said scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee, the amount payable under the scheme be less than the amount that would be payable had the employee been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employees as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employee before his approval, he will give a reasonable opportunity to the employees to explain their point of view.

9. If for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Insurance Company as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date as fixed by the Insurance Company and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium, the responsibility for the payment of Insurance benefits to the nominee legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Insurance Company shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s) legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case, within one month from the receipt of claim complete in all respects.

S. R. JOSHI, Addl. Central P.F. Commissioner

[ADVT III/4/200A/09-Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.